दिनांक 20 दिसंबर, 2016 को एफ.डी.ए भवन, नई दिल्ली में 1100 बजे आयोजित
खाद्य प्राधिकरण की 22वीं बैठक का कार्यवृत्त

1. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई) की 22वीं बैठक दिनांक 20 दिसंबर, 2016 के 1100 बजे एफ.डी.ए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली में श्री आशीष बहुगुणा, अध्यक्ष, एफ.एस.एस.ए.आई की अध्यक्षता में हुई थी। बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की सूची **अनुबंध 1** पर दी गई है। बैठक में उपस्थित न हो पाने वाले सदस्यों को अनुपस्थिति की अनुमति दी गई थी।

2. श्री आशीष बहुगुणा, अध्यक्ष, एफ.एस.एस.ए.आई ने बैठक में प्राधिकरण के सदस्यों का स्वागत किया।

3. प्राधिकरण ने निवर्तमान सदस्यों डॉ. ललिता रामकृष्णन् गौडा; डॉ. जे. बालाजी. श्री सलीम ए. वेल्जी; श्री पी.वी. नरसिंग राव; श्री के.एस.पी.वी पवन कुमार; श्री सुखविंदर सिंह; श्री रामेश्वर शर्मा; डॉ. ए.आर. शर्मा; सुश्री श्रेया पांडेय; सुश्री मीतू कपूर; श्री वासुदेव के. ठक्कर; डॉ. ए.के. श्रीवास्तव; श्री अबुलकलाम; और श्री थंगलुरा के प्रति आभार व्यक्त किया। प्राधिकरण ने यह भी नोट किया कि दिनांक 23 अगस्त, 2016 को खाद्य प्राधिकरण, केंद्रीय सलाहकार समिति और वैज्ञानिक समिति की एक विशेष संयुक्त स्मृति बैठक आयोजित की गई थी।

मद सं0 I :

26 मई, 2016 को हुई पिछली (21वीं) बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

21वीं बैठक का कार्यवृत्त सभी सदस्यों को परिचालित किया गया था। कार्यवृत्त पर कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई। कार्यवृत्त का अनुमोदन कर उसे अपना लिया गया।

मद सं0 II : खाद्य प्राधिकरण की 21वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट

सदस्यों ने कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट को नोट किया।

मद सं0 III : मुख्य कार्यकारी अधिकारी की रिपोर्ट

(i) श्री पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफ.एस.एस.ए.आई ने अपनी रिपोर्ट में प्राधिकरण की पिछली बैठक के बाद आयात; 19 अंतिमित और 18 मसौदा विनियमों की अधिसूचना के माध्यम से मानक निर्धारण; खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली; और कोडेक्स गतिविधियों के संबंध में हुए विभिन्न विकासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने प्राधिकरण को खाद्य प्राधिकरण द्वारा आयोजित कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों उदाहरणार्थ एकीकृत खाद्य विधि—खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 का दो-दिवसीय दशकोत्सव (22-23 अगस्त, 2016); राष्ट्रीय खाद्य पोष्टिकीकरण शिखर सम्मेलन (16-17 अक्टूबर, 2016); खाद्य पोष्टिकीकरण के संबंध में श्री बिल गेट्स के साथ एक विशेष बैठक (17 नवंबर, 2016); और भारत द्वारा नई

दिल्ली में सी.सी.एशिया के 20वें सत्र के आयोजन के बारे में भी सूचित किया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने प्राधिकरण को खाद्य प्राधिकरण के सभी प्रभागों के परामर्श से आई.टी दल द्वारा एफ.एस.एस.ए.आई की वेबसाइट में सुधार के बारे में अवगत कराया। खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणन (फोस्टैक), खाद्य पोष्टिकीकरण इत्यादि अन्य छोटी साइटों को लिंक करते हुए एफ.एस.ए.ए.आई की नई वेबसाइट आरंभ की गई। प्राधिकरण ने इस कार्य को समय-सीमा में पूरा करने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई दल की सराहना की।

कार्यसूची की मद सं0 22.1-

(1) मानक निर्धारण और पुनरीक्षा-

(i) मानक क्रियान्वयन

(i) मालिकाना खाद्य के लिए मानक;

(ii) खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) विनियम;

(iii) खाद्य सुरक्षा और मानक (पोष्टित आहार) विनियम;

(iv) चाय में लौह चूर्ण की संशोधित सीमाएँ;

(v) कैफीनयुक्त पेय पदार्थों और पैकेजबंद पेय जल के धारकों में नीली आभा के प्रयोग संबंधी मानक;

(vi) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य या स्वास्थ्य अनुपूरक, न्यूट्रास्युटिकल्स, विशेष आहार विषयक उपयोग के लिए खाद्य, विशेष चिकित्सीय प्रयोजन के लिए खाद्य, कृत्यकारी खाद्य, और नूतन खाद्य) विनियम;

(vii) टेबल ओलाइव मानक;

(viii) दालचीनी मानक; और

(ix) ऊँट के दूध के मानक।

प्राधिकरण ने एजेंडा मदों को नोट कर उनका अनुमोदन किया।

(ii) अंतिम अधिसूचना के लिए खाद्य मानकों का अनुमोदन-

(i) चाँदी के वर्क के मानकों का पुनरीक्षण;

(ii) फल पकाने के लिए इथाइलीन गैस के उपयोग का समावेशन;

(iii) पैकेजबंद पेयजल के धारकों में नीली आभा के उपयोग के मानक;

(iv) कच्ची दाल के मानक;

(v) पैकेजबंद पेयजल के मानकों का पुनरीक्षण;

(vi) कार्बोनेटित फ्रूट बीवरेज अथवा फ्रूट पेयों के मानकों का पुनरीक्षण;

(vii) मालिकाना खाद्य के मानक;

(viii) मछली और मछली उत्पादों के सूक्ष्म जैविक मानक;

(ix) चाय में लौह चूर्ण की सीमा;

(x) **मछली और मछली उत्पादों में हिस्टैमाइन स्तर की सीमाएँ;**

(xi) **अंतःईस्टरीकृत वनस्पति वसा को अंतःईस्टरीकृत वनस्पति वसा/तेल के रूप में पुनः परिभाषित करना, परिशोधन प्रक्रिया में इन्जाइमी विगोंदन का समावेशन, भारत में आयातित पेरे गए/प्रसंस्कृत नारियल तेल की परिशोधन से छूट और जई तथा पास्ता के मानक;**

(xii) **माल्ट सत्त, कोल्हू संपीडित आटे, बेकर्स यीस्ट, लैक्टिक एसिड, एस्कोर्बिक एसिड, कैल्शियम प्रोपियोनेट, पोटाशियम मेटाबाइसल्फाइट के मानक; और**

(xiii) **चॉकलेट के मानक।**

प्राधिकरण ने नोट किया कि क्रम संख्या (i) से (xii) तक के मानकों की अंतिम अधिसूचना का प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन के बाद मंत्रालय को पहले ही भेजा जा चुका है। जहाँ तक चॉकलेट के विनियम का संबंध है, निम्नलिखित विचार व्यक्त किए गए:

(क) सुश्री मीतू कपूर, प्राधिकरण की पूर्व सदस्य और विशेष आमंत्रिति ने महसूस किया कि मसौदा विनियम की सारणी के नीचे दिया गया दूध के ठोस पदार्थों का स्पष्टीकरण भ्रामक है और उसकी गलत व्याख्या किए जाने की संभावना है। यह ध्यान दिलाया गया कि वर्तमान पाठ का आशय चॉकलेट में दूध के विभिन्न उत्पादों और संघटकों के प्रयोग को रोकना है।

(ख) लेबल पर "कोको बटर के अतिरिक्त अनुमत वनस्पति वसायुक्त" घोषणा के प्रावधान के संबंध में सुश्री मीतू कपूर ने बताया कि चूँकि वनस्पति तेलों सहित चॉकलेट का संघटन लेबल पर संघटकों की सूची में पहले ही घोषित है, इसके लिए अलग घोषणा की आवश्यकता नहीं है।

(ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधि का विचार था कि शिया और बार्नियो टैलो वनस्पति तेलों को चॉकलेट में उपयोग के लिए अनुमत वनस्पति तेलों की सूची से निकाल देने के लिए प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों के मद्देनजर उन्हें उस सूची से निकाल दिया जाए। तथापि अध्यक्ष महोदय का विचार था कि खाद्य प्राधिकरण का अधिदेश खाद्य सुरक्षा तक सीमित है, जबकि अभ्यावेदन अन्य मामलों पर किए गए हैं। वैज्ञानिक पैनल/समिति ने इन वनस्पति तेलों के चॉकलेट के उत्पादन में उपयोग पर खाद्य सुरक्षा पर कोई दुष्प्रभाव नहीं बताया है।

व्यापक चर्चा के बाद प्राधिकरण ने अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन के बाद उपर्युक्त अंतिमित विनियम अधिसूचना के लिए मंत्रालय को भेजने के लिए की गई कार्रवाई का अनुमोदन कर उसकी पुष्टि की। जहाँ तक चॉकलेट के विनियम का संबंध है, निम्नलिखित निर्णय लिए गए:

(i) दूध के ठोस पदार्थों और लेबलिंग अपेक्षाओं संबंधी मुद्दों की पुन: जाँच करने और अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से अंतिम निर्णय लेने का निर्णय लिया गया।

(ii) शिया और बार्नियो टैलो के संबंध में प्राधिकरण ने वैज्ञानिक समिति द्वारा यथा-अनुशंसित प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया।

(iii) **निम्नलिखित की मसौदा अधिसूचना के लिए खाद्य मानकों का अनुमोदन-**

(क) मौजूदा मानकों का पुनरीक्षण-

(i) कोको पाउडर;

(ii) डिब्बाबंद ट्रोपिकल फल सलाद/कॉकटेल मिश्र;

(iii) गैर-एल्कोहलीय, कार्बोनेटित पेय पदार्थों की लेबलिंग अपेक्षाएँ;

(iv) प्रस्तावित मसौदा खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजबंदी, लेबलिंग और दावे) विनियम, 2016;

(v) गुड़;

(vi) सोडियम सैक्करीन (खाद्य ग्रेड) और कैल्शियम सैक्करीन (खाद्य ग्रेड); और

(vii) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) संशोधन विनियम, 2016 के क्रियान्वयन संबंधी नोटिस दिनांक 20.06.2016 के मद्दे नजर खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 में उल्लिखित सहयोज्य पदार्थों का निराकरण।

प्राधिकरण ने उपयुक्त मसौदा अधिसूचनाओं पर विचार किया। विचार-विमर्श के दौरान, निम्नलिखित विचार व्यक्त किए गए:

(क) प्रस्तावित मसौदा खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजबंदी, लेबलिंग और दावे) विनियम, 2016 के संबंध में सुश्री श्रेया पांडेय और सुश्री मीतू कपूर, दोनों प्राधिकरण की पूर्व सदस्य और विशेष आमंत्रिति, ने 'से पहले बेहतर' तिथि और 'तक प्रयोग करें' तिथि संबंधी मुद्दा उठाया और अंतर्राष्ट्रीय रीतियों के आधार पर केवल "से पहले बेहतर' तिथि की रीति अपनाने का सुझाव दिया। अध्यक्ष महोदय ने उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए खाद्य उत्पादों के लिए समाप्ति तिथि को अधिदेश के रूप में रखने की आवश्यकता के बारे में बताया और कहा कि इस संबंध में समझौता नहीं किया जा सकता। तथापि उन्होंने कहा कि मसौदा अधिसचूना जारी होने के बाद इस मुद्दे पर सम्मतियाँ दी जा सकती हैं।

(ख) आगे, प्राधिकरण ने पैकेजिंग, लेबलिंग, और दावों तथा विज्ञापनों, सभी तीनों मदों को नितांत भिन्न मानते हुए इनके संबंध में अलग-अलग विनियम बनाने का निर्णय लिया।

व्यापक चर्चा के बाद प्राधिकरण ने उपर्युक्त मसौदा अधिसूचनाओं का अनुमोदन किया।

(ख) नए मानक –

(i) खजूर पेस्ट;

(ii) किण्वित सोयाबीन पेस्ट;

(iii) कोका मॉस अथवा कोका/चॉकलेट लिकर, और कोका केक;

(iv) वनस्पति प्रोटीन उत्पाद;

(v) हैरिसा (लाल गर्म मिर्च पेस्ट;

(vi) शिया बटर;

(vii) बोर्नियो टैलो/इलिप बटर;

(viii) विभिन्न खाद्य वनस्पति तेलों के मानकों में वसीय अम्ल का संघटन (जी.एल.सी अनुसार) का सम्मिलन;

(ix) बार-बार तलाई हेतु वनस्पति तेल की गुणता;

(x) शिशु खाद्य विनियम (आई.एफ.आर);

(xi) बड़े शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए अनुपूरक आहार;

(xii) अल्प-सोडियम युक्त (लवण प्रतिस्थापियों सहित) विशेष आहारिक खाद्य;

(xiii) ड्यूरम गेहूँ;

(xiv) ड्यूरम गेहूँ की सूजी और चौकरयुक्त ड्यूरम गेहूँ की सूजी;

(xv) ज्वार का आटा;

(xvi) सोयाबीन;

(xvii) सोया प्रोटीन उत्पाद;

(xviii) रागी;

(xix) चौलाई;

(xx) मकई का चौकरयुक्त आटा;

(xxi) गेहूँ ग्लुटेन सहित गेहूँ के प्रोटीन उत्पाद;

(xxii) पेस्टीसाइडों की एम.आर.एल निर्धारण;

(xxiii) दुग्ध प्रोटीन सांद्र (एम.पी.सी); और

(xxiv) व्हे प्रोटीन सांद्र (डब्ल्यू.पी.सी)।

प्राधिकरण ने ड्यूरम गेहूँ, जिसे पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है, की मसौदा अधिसूचना को छोड़कर सभी मसौदा अधिसूचनाओं पर विचार किया। शिशु खाद्य विनियम (आई.एफ.आर) संबंधी मसौदा विनियमों के संबंध में सुश्री श्रेया पांडेय और सुश्री मीतू कपूर ने इसके मसौदे पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता व्यक्त की।

व्यापक चर्चा के बाद प्राधिकरण ने शिशु खाद्य विनियम (आई.एफ.आर) की मसौदा अधिसूचना को छोड़कर प्रस्तावित सभी मसौदा अधिसूचनाओं का अनुमोदन किया। शिशु खाद्य विनियम (आई.एफ.आर) पर सी.आई.आई और फिक्की की सम्मतियाँ, यदि कोई हुईं, प्राप्त होने तथा अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन के बाद उनकी मसौदा अधिसूचना के लिए कार्रवाई की जाएगी।

(iv) **विविध (ग्यारह):-**

(क) **शिशु पोषण फॉर्मूला से संबंधित मौजूदा प्रावधान के विलोपन संबंधी सम्मतियाँ;**

(ख) **हितधारकों के अभ्यावेदनों पर कार्रवाई के रूप में पैनल द्वारा विभिन्न श्रेणियों में अनुमत खाद्य सहयोज्य पदार्थ;**

(ग) **पोष्टित दूध में विटामिन 'ए' और विटामिन 'डी की विश्लेषण पद्धति;**

(घ) **दूध में योजित जल ज्ञात करने की पद्धति;**

(ङ) **दूध और दुग्ध उत्पादों में मेलामाइन ज्ञात करने की पद्धति;**

(च) **विभिन्न खाद्य उत्पादों के विश्लेषण पद्धति मैनुअलों का अंतिमन;**

(छ) **एफ.एस.एस नियम, 2011 के नियम 2.4.2(7) पर विधिक दृष्टिकोण;**

(ज) **खाद्य के पॉलिसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (पी.ए.एच) संदूषण में कमी करने की रीति संहिता;**

(झ) **उन प्रजातिगत चिकित्सीय अवस्थाओं की सूची जिनके लिए 'चिकित्सा प्रयोजनों के विशेष आहार' भारत में आयात करने की आवश्यकता है;**

(ञ) **वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनलों के सदस्यों के चयन के लिए आकलन समिति की संस्तुतियाँ; और**

(ट) **मानक पुनरीक्षण दलों का गठन।**

प्राधिकरण ने उपर्युक्त कार्यसूची पर विचार किया। चर्चा के दौरान निम्नलिखित विचार व्यक्त किए गए:

(i) उपर्युक्त मद (छ) के संबंध में प्राधिकरण का विचार था कि इसके लिए प्राधिकरण के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है और इस पर अलग से विचार किया जा सकता है।

(ii) उपर्युक्त मद (ञ) के संबंध में प्राधिकरण ने नोट किया कि कुछ क्षेत्रों में विषय-विशेषज्ञों की संख्या सीमित है। यह महसूस किया गया हालांकि कुछ सदस्य अपने पैनल में पहले ही दो अवधियाँ पूरी कर चुके हैं, उन पैनलों में उनका बने रहना प्राधिकरण के लिए अत्यंत लाभदायक होगा। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (वैज्ञानिक समिति तथा वैज्ञानिक पैनलों में कार्य-संव्यवहार की प्रक्रिया) विनियम, 2016 में 'ऐसे सदस्यों को लिखित में कारण दर्ज करते हुए दो अवधियों से अधिक अवधि के लिए नियुक्त करने' का उपबंध है। उनके क्षेत्रों में उनकी विशेषज्ञता तथा सदस्यों के चयन के लिए आकलन समिति की संस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने डॉ. डी.के. कानूनगो (पेस्टीसाइड अवशिष्ट); डॉ. एस.के. सक्सेना (परीक्षण पद्धति); और डॉ. एस.आर. राव (जी.एम) को उनके पैनलों में दो अवधियों से अधिक के लिए नियुक्त करने का निर्णय लिया।

(iii) उपर्युक्त मद (ट) के संबंध में प्राधिकरण ने अन्य सदस्यों को समिति की बैठकों और विभिन्न पैनलों में आवश्यकतानुसार सहयोजित करने का प्राधिकार दिया।

प्राधिकरण ने प्रस्तावों का उपर्युक्त संशोधनों के साथ अनुमोदन किया।

कार्यसूची की मद सं0 22.2

विनियमात्मक अनुपालन

(i) विनियमात्मक कार्य।

(ii) लाइसेंसिंग और पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाने तथा व्यापार में आसानी के लिए पहल

(iii) प्रवर्तन और निरीक्षण गतिविधियों का सरलीकरण।

(iv) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के स्व-सक्रिय दृष्टिकोणों के साथ बातचीत

(v) नागरिकों से जुड़ें

(क) प्राधिकरण ने सूचनार्थ प्रस्तुत एजेंडा की इन मदों को नोट किया।

(ख) लाइसेंसिंग/पंजीकरण प्रक्रिया और व्यवसाय सरलता को आसान बनाने की पहलों के संबंध में प्राधिकरण ने कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से पंजीकरण कराने की प्रक्रिया की समय-सीमा दिनांक 31.03.2017 तक बढ़ाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

(ग) अध्यक्ष महोदय ने भारत के सभी भौगोलिक क्षेत्रों में सी.आई.आई, फिक्की जैसे व्यापार और औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ इंटरएक्टिव इंटरफेस का निर्देश दिया। इंटरफेस के परिणामों का उपयोग अनुपालन में सुधार लाने के लिए किया जा सकता है।

(घ) प्राधिकरण ने तीन वर्षों के लिए सी.ए.सी के नए सदस्यों की अधिसूचना के साथ दिनांक 3 फरवरी और 22 जून, 2016 को आयोजित सी.ए.सी की क्रमशः 16वीं और 17वीं बैठकों के कार्यवृत्त नोट किए।

कार्यसूची की मद सं0 22.3

कोडेक्स कक्ष-

(i) **एफ.ए.ओ/डब्ल्यू.एच.ओ की एशिया समन्वय समिति के 20वें सत्र का आयोजन (26-30 सितंबर, 2016, नई दिल्ली)**

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद को सूचनार्थ नोट किया।

कार्यसूची की मद सं0 22.4

आयात-

(i) **खाद्य आयात के सरलीकरण के आदेश/निर्णय**

(ii) **खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य आयात) विनियम, 2016**

(क) प्राधिकरण ने 'खाद्य आयात के सरलीकरण के आदेश/निर्णय' संबंधी कार्यसूची की मद को सूचनार्थ नोट किया।

(ख) 'खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य आयात) विनियम, 2016' संबंधी कार्यसूची की मद के संबंध में प्राधिकरण ने विनियम का सैद्धांतिक रूप में अनुमोदन किया। तथापि सुश्री मीतू कपूर ने अपनी सम्मतियाँ देने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा।

कार्यसूची की मद सं0 22.5

मानव संसाधन-

(i) **भर्ती नियमों की पुनर्संरचना**

(ii) **परामर्शदाताओं की सेवा लेना।**

प्राधिकरण ने 'परामर्शदाताओं की सेवा लेने' संबंधी कार्यसूची की मद को सूचनार्थ नोट किया और 'भर्ती नियमों की पुनर्संरचना' करने संबंधी कार्यसूची की मद का अनुमोदन किया।

कार्यसूची की मद सं0 22.6

वित्त और लेखा-

(i) **एफ.एस.एस.ए.आई के वित्तीय वर्ष 2015-16 के वार्षिक लेखे**

(ii) **एफ.एस.एस.ए.आई के वित्तीय वर्ष 2016-17 और 2017-18 के बजट, वित्तीय कार्य योजना और परिणामी तथा निष्पादन बजट**

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मदों का सैद्धांतिक अनुमोदन किया। अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि भविष्य में अधिक स्पष्टता के लिए बजट का गतिविधि अनुसार (भौतिक और वित्तीय) विवरण दिया जाए।

कार्यसूची की मद सं० 22.7

सामान्य प्रशासन-

(i) **एफ.एस.एस.ए.आई की वित्तीय वर्ष 2015-16 की वार्षिक रिपोर्ट**

(ii) **एफ.एस.एस.ए.आई के एफ.डी.ए भवन, नई दिल्ली में कार्यालय परिसर का नवीकरण और उन्नयन।**

प्राधिकरण ने 'एफ.एस.एस.ए.आई के एफ.डी.ए भवन, नई दिल्ली में कार्यालय परिसर के नवीकरण और उन्नयन' संबंधी कार्यसूची की मद को सूचनार्थ नोट किया और 'एफ.एस.एस.ए.आई की वित्तीय वर्ष 2015-16 की वार्षिक रिपोर्ट' का अनुमोदन किया।

कार्यसूची की मद सं० 22.8

जोखिम आकलन और अनुसंधान एवं विकास-

(i) **खाद्य गुणता और सुरक्षा के लिए अनुसंधान एवं विकास अध्ययन की योजना के दिशा-निर्देश**

(ii) **खाद्य सुरक्षा पर वैज्ञानिक सहयोग के ढाँचे पर कार्यशाला।**

(iii) **खाद्य सुरक्षा ज्ञान समामेलन तंत्र (एफ.एस.के.ए.एन)**

(iv) प्राधिकरण ने 'खाद्य गुणता और सुरक्षा के लिए अनुसंधान एवं विकास अध्ययन की योजना के दिशा-निर्देशों' का अनुमोदन किया और कार्यसूची की अन्य दो मदों को सूचनार्थ नोट किया।

कार्यसूची की मद सं० 22.9

गुणता आश्वासन, खाद्य परीक्षण और निगरानी-

(i) **खाद्य उत्पादों के विश्लेषण प्रभारों में संशोधन।**

(ii) **तृतीय खाद्य विश्लेषक परीक्षा।**

(iii) **देश में खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं का सशक्तीकरण (सोफ्टेल)।**

(iv) **खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत प्रयोगशालाओं की अधिसूचना।**

(v) **खाद्य अनुसंधान और मानकीकरण प्रयोगशाला (एफ.आर.एस.एल), गाजियाबाद के प्रचालन और प्रबंधन का ठेका।**

(vi) **निगरानी गतिविधियाँ।**

(क) प्राधिकरण ने 'खाद्य उत्पादों के विश्लेषण प्रभारों के पुनरीक्षण' संबंधी कार्यसूची की मद का अनुमोदन किया और कार्यसूची की अन्य पाँच मदों को सूचनार्थ नोट किया।

(ख) अध्यक्ष महोदय ने खाद्य विश्लेषक परीक्षा लेने संबंधी समस्त कार्य उपयुक्त क्षमता वाली संस्थाओं को आउटसोर्स करने की संस्तुति की। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि प्राधिकरण की बैठकों में खाद्य प्रयोगशालाओं द्वारा किए जा रहे कार्य की समीक्षा भी की जाए।

कार्यसूची की मद सं0 22.10

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर अद्यतन स्थिति

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद को सूचनार्थ नोट किया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि माइकोटोक्सिन और पेस्टीसाइड अवशिष्टों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम की उपादेयता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ग्लोबल फूड सेफ्टी प्रोग्राम (जी.एफ.एस.पी) को ऐसा ही एक प्रशिक्षण पशु औषध अवशिष्टों पर आयोजित करने का अनुरोध किया था। इसे नोट कर प्राधिकरण ने जी.एफ.एस.पी का सहयोग लेने में एफ.एस.एस.ए.आई के प्रयासों की सराहना की।

कार्यसूची की मद सं0 22.11

सूचना, शिक्षा और संप्रेषण (आईईसी)

सुश्री माध्वी दास, सी.एम.एस.ओ, एफ.एस.एस.ए.आई ने आईईसी गतिविधियों के प्रति एफ.एस.एस.ए.आई का नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। प्राधिकरण ने इसका अनुमोदन किया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि नैशनल एसोशिएशन ऑफ स्ट्रीट फूड वेंडर्स ऑफ इंडिया (एन.ए.एस.वी.आई) और एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा राष्ट्रीय स्ट्रीट फूड फेस्टीवल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पोष्टिकीकरण सहित एसएनएफ@होम; एसएनएफ@स्कूल; एसएनएफ@वर्कप्लेस; एसएनएफ@ईटिंगआउट पर बल दिया जाएगा। प्राधिकरण ने इसे नोट किया।

कार्यसूची की मद सं0 22.12

प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण

(i) खाद्य सुरक्षा विनियमात्मक स्टाफ के लिए प्रशिक्षण नीति।

(ii) खाद्य कारोबारियों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण नीति।

(iii) मुम्बई में अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण और अनुप्रयुक्त पोषण संस्थान् की स्थापना।

(iv) खाद्य परीक्षण कार्मिकों के क्षमता-निर्माण की नीति।

(क) प्राधिकरण ने 'खाद्य कारोबारियों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण नीति' का अनुमोदन किया; और 'मुम्बई में अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण और अनुप्रयुक्त पोषण संस्थान् की स्थापना' का सैद्धांतिक अनुमोदन किया तथा कार्यसूची की अन्य दो मदों को नोट किया।

(ख) प्राधिकरण ने यह भी नोट किया कि आईईसी और प्रशिक्षण तथा क्षमता-निर्माण गतिविधियों, विशेषकर 'सुरक्षित खाद्य अभियान' कार्यक्रम, के लिए एफ.एस.एस.ए.आई सीआईआई के साथ निकट से कार्य कर रही है, ।

कार्यसूची की मद सं0 22.13

खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली-

(i) खाद्य कारोबारियों के लिए जी.एम.पी/जी.एच.पी के पुनरीक्षण हेतु तकनीकी पैनलों का गठन।

(ii) 'सुरक्षित भोजन परोसें' पहल।

प्राधिकरण ने 'खाद्य कारोबारियों के लिए जी.एम.पी/जी.एच.पी के पुनरीक्षण हेतु तकनीकी पैनलों के गठन' का अनुमोदन किया। प्राधिकरण ने 'सुरक्षित भोजन परोसें' पहल पर कार्यसूची की मद को भी सूचनार्थ नोट किया।

कार्यसूची की मद सं0 22.14

पोष्टिकीकरण और खाद्य पोष्टिकीकरण संसाधन केंद्र

प्राधिकरण ने टाटा ट्रस्ट्स और अन्य हितधारकों के सहयोग से खाद्य पोष्टिकीकरण पर बल देने और उसके साक्ष्य रूप समर्थन के लिए खाद्य पोष्टिकीकरण संसाधन केंद्र (एफ.एफ.आर.सी) का सैद्धांतिक अनुमोदन किया।

कार्यसूची की मद सं0 22.15

सूचना प्रौद्योगिकी पहलें-

(i) सूचना प्रौद्योगिकी टीम का सशक्तीकरण

(ii) आईएफएस.क्विक एक्सेस सिस्टम

(iii) इंडियन फूड लैबोरेटरी नेटवर्क (इन्फोलनेट)

(iv) ई-ऑफिस

(v) अन्य पहलें।

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मदों को सूचनार्थ नोट किया। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यद्यपि स्वचल की प्रक्रिया सराहनीय है, इससे दक्षता बढ़ाने का प्रयोजन हल होना चाहिए। उन्होंने आयात

खेपों को मुक्त करने में होने वाली देरी पर चिंता जताई और यह जानना चाहा कि आयात खेपों के आवेदन आम तौर पर किस स्तर पर रुकते हैं और इस समस्या का समाधान करने के लिए सुधार की क्या कार्रवाई की जा रही है। जवाब में उन्हें बताया गया कि उपयुक्त मॉनिटरी प्रणाली लागू है और उन्हें अपडेटों के लिए संबंधित डैशबोर्ड पर पहुँच की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। लाइसेंसिंग और पंजीकरण में देरी के लिए भी ऐसी ही चिंता जताई गई।

कार्यसूची की पूरक मद सं0 22.1

सीधे बिक्री करने वाले खाद्य कारोबारियों के कार्यों पर दिशा-निर्देश

प्राधिकरण ने जनता की सम्मतियाँ आमंत्रित करने के लिए सीधे बिक्री करने वाले खाद्य कारोबारियों के कार्यों पर मसौदा दिशा-निर्देशों का अनुमोदन किया और अध्यक्ष महोदय को प्राप्त सम्मतियों पर विचार करने के बाद दिशा-निर्देशों को लागू करने के लिए प्राधिकृत किया।

कार्यसूची की पूरक मद सं0 22.2

'पोष्टित और समृद्ध खाद्यों' पर नया वैज्ञानिक पैनल

प्राधिकरण ने 'पोष्टित और समृद्ध खाद्यों' पर नए वैज्ञानिक पैनल' के गठन का अनुमोदन किया परंतु उसमें डब्ल्यूएचओ इत्यादि जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों को शामिल करने पर सहमति नहीं दी।

कार्यसूची की पूरक मद सं0 22.3

ठेके पर स्टाफ के विदेश दौरों पर अनियमित व्यय

यह बताया गया कि स्टाफ (नियमित/प्रतिनियुक्त/सांविदिक) को विदेश दौरों पर उपयुक्तता और संगठन में संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर भेजा जाता है। एफ.एस.एस.ए.आई के लिए खाद्य सुरक्षा पर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर चर्चित सभी मुद्दों पर कार्रवाई के लिए संस्था में स्थायी विशेषज्ञों की भर्ती करना संभव नहीं है। अत: आवश्यकता के आधार पर कई अवसरों पर संविदा स्टाफ को विदेश दौरों पर भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तदनुसार प्राधिकरण ने संविदा स्टाफ के अंतर्राष्ट्रीय बैठकों/कार्यक्रमों में आवश्यकतानुसार नामन/वित्त पोषण का सैद्धांतिक अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने कार्यसूची की मदों के समय पर उपलब्ध न होने पर चिंता जताई। उन्होंने प्राधिकरण के अधिकारियों को कार्यसूची में शामिल करने योग्य आवश्यक मदों के प्रस्ताव प्राधिकरण की बैठक की तिथि तय होने की प्रतीक्षा किए बिना प्रस्तुत करने का परामर्श दिया।

अपनी टिप्पणियों में सुश्री श्रेया पांडेय और सुश्री मीतू कपूर, पूर्व सदस्यों ने एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की।

बैठक अध्यक्ष महोदय और सभी उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद सहित समाप्त हुई।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी अध्यक्ष

अनुबंध-1

सहभागियों की सूची

क. **प्राधिकरण के सदस्य**

1. श्री आशीष बहुगुणा, अध्यक्ष, एफ.एस.एस.ए.आई;
2. श्री पवन अग्रवाल, सी.ई.ओ, एफ.एस.एस.ए.आई, सदस्य सचिव;
3. डॉ. रीता वशिष्ठ, अपर सचिव, विधि एवं न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली
4. श्री के. एल. शर्मा, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली;
5. सुश्री अनुराधा प्रसाद, संयुक्त सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय;
6. श्री डी.डी.के शर्मा, अपर पीपीए, द्वारा संयुक्त सचिव (पीपी), कृषि मंत्रालय;
7. डॉ. जी. एस. टुटेजा, निदेशक, मरु औषध अनुसंधान केंद्र (डीएमआरसी), नई दिल्ली;
8. सुश्री श्रेया पांडेय, आल इंडिया फूड प्रोसेसर्स एसोसिएशन;
9. सुश्री मीतू कपूर, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, सी.आई.आई;

क. एफ.एस.एस.ए.आई के अधिकारी

1. सुश्री माध्वी दास, सी.एम.एस.ओ
2. श्री कुमार अनिल, सलाहकार (मानक)
3. श्री सुनील बख्शी, सलाहकार (कोडेक्स)
4. श्री बिमल कुमार दुबे, निदेशक (आरसीडी)
5. श्री राकेश चन्द्र शर्मा, निदेशक (आयात)
6. डॉ. रूबीना शाहीन, निदेशक (आरएआरडी)
7. सुश्री सुनीति टुटेजा, निदेशक (एफ.एस.एम.एस)
8. श्री राज सिंह, प्रमुख (सामान्य प्रशासन/विधि)
9. श्री आर. के. गुप्ता, प्रमुख (क्यू. ए.)
10. श्री तन्मय प्रसाद, मुख्य सूचना और प्रौद्योगिकी अधिकारी (आईटी)
11. डॉ. धीर सिंह, संयुक्त निदेशक (मानक)
12. श्री उमेश कुमार जैन, संयुक्त निदेशक (क्यूए)
13. डॉ. ए. के. शर्मा, परामर्शदाता
14. डॉ. एस. सी. खुराना, परामर्शदाता
15. सुश्री अनीता मखीजानी, उप निदेशक (तकनीकी)
16. डॉ. ए.सी मिश्रा, वैज्ञानिक-3
17. श्री पी. कार्तिकेयन, सहायक निदेशक (विनियम)
18. श्री मनोज कुमार, सहायक निदेशक (वित्त और लेखा)
19. श्री राजेश कुमार, वैज्ञानिक iv(I)

फा. सं. 15-10/सा.प्र./2016-एफ.एस.एस.ए.आई

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

(खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक संस्था)

(सामान्य प्रशासन प्रभाग)

एफ. डी. ए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली - 110002

---

15 जून, 2017

विषय : दिनांक 20 दिसंबर, 2016 को आयोजित प्राधिकरण की 22वीं बैठक का कार्यवृत्त

खाद्य प्राधिकरण ने दिनांक 25 मई, 2017 को आयोजित 23वीं बैठक में दिनांक 20 दिसंबर, 2016 को एफ.डी.ए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली में आयोजित अपनी 22वीं बैठक के कार्यवृत्त को अपनाया।

तदनुसार प्राधिकरण की 22वीं बैठक का कार्यवृत्त एफ.एस.एस.ए.आई की वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है।

हस्ता/-

(सुमेर सिंह मीणा)

सहायक निदेशक (सामान्य प्रशासन)

अनुलग्नक:

खाद्य प्राधिकरण की 22वीं बैठक का कार्यवृत्त (14 पृष्ठ)